HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2228/2026

Shivam Kamra S/o Shri Sajeev Kamra, Aged About 31 Years, R/o Kailash Nagar, Gali Number 4 D, Fajilka Police Station Fajilka City, District Fajilka (Punjab)
(At Present Confined In Sub Jail Sambhar Lake).

----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Anil Kumar
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh Shekhawat, PP

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

27/02/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना रेनवाल जिला जयपुर ग्रामीण में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 292/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 318(4), 316(2), 338, 336(3) भारतीय न्याय संहिता में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 23.11.2025 से अभिरक्षा में चल रहा है, उसके विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

मैंने उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में प्रकरण के तथ्यों के अनुसार सहअभियुक्त शुभम व प्रमोद को कथित वाहन थार पर गलत रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाकर उसका बेचान के संबंध में परिवादी से वार्ता की। उक्त थार वाहन के बेचान के संबंध में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कोई वार्ता नहीं की। उक्त वाहन से संबंध राशि प्रार्थी/अभियुक्त के बैंक खाते में जमा होना बताया गया है। उक्त राशि प्रार्थी/अभियुक्त ने अपने बैंक खाते में जमा करने के लिए परिवादी को नहीं कहा है। सहअभियुक्तगण हरकिरत सिंह तथा अन्य समेकित प्रकरण का जमानत प्रार्थना संख्या क्रमशः 17019/2025, 132/2026 आदेश दिनांक 09.01.2026 को इस न्यायालय की समकक्ष पीठ के द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 23.11.2025 से अभिरक्षा में चल रहा है, उसके विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों तथा प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **शिवम कामरा पुत्र संजीव कामरा** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे हस्तगत प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

KISHAN SONI /54